


तामील
नम

क्र.स. 04/2024
हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
शबलीय मोहरम नजारा राफ. सखार

नम्बर
व ता0 अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए।


25/11/24

पीदासीन अधिकारी अदालत/राज्य कार्य में
व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 29/10/25
को पेश हो।


उप सचिव अधिकारी
अन्ता

24.11.25

पीदासीन अधिकारी अदालत/राज्य कार्य में
व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 20/11/25
को पेश हो।


उप सचिव अधिकारी
अन्ता

12/5/25

पत्रावली आफ कोर्ट केम डीकमि में प्रस्तुत हुई
मह लाग रकना कमी - पूर्ण के लिए प्रस्तुत किया
गया है। द्वारा 136 2R Act के केवल सिविलीन
अदालत सही भी जा सकती है। किसी भी
प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा
सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय
RRT 2015 para 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय
राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) para 1864
में भी मही निर्णय प्रमाणित किया कि 2R
Act की द्वारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों
का सृजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए
दस्तावेज प्रमाण पर शकिक किया जाता है
और प्रार्थी को दवाव ही जानी है कि वह
निर्णय वाद में आवे, प्रमाण की दृष्टि

कोमप्लेक्स

तारीख व
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दो डायरी निपटित वाड में इस परावली
को नाली करवा सकेगा।

निर्णय दो इकलौठ परवाड सुनामा गमा।

परावली केवल सुगाड होकर नबवा दि कहें।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी अन्ता

जिला बारा (राज०)

पति

निर्णय करवा दे

१०/११